भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 192

दिनांक 03.02.2021/ 14 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

आपराधिक कानूनों में सुधार संबंधी समिति

192 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपराधिक कानूनों में सुधार संबंधी समिति नियुक्त की है जिसमें महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति में उक्त समुदायों का प्रतिनिधित्व न होने के क्या कारण हैं;

(ग) समिति के कार्य की संदर्भ की सटीक शर्तें क्या हैं और इन्हें कब तक पूरा किये जाने की जरूरत है;

(घ) क्या कई प्रतिष्ठित वकीलों और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा समिति के कार्य संचालन में बेहतर प्रतिनिधित्व और अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की जाती रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): आपराधिक कानूनों में सुधार संबंधी सुझाव प्रदान करने के लिएउप-कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय ने भी आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों पर राज्यों,

रा.स.अता.प्र.सं. 192

संघ राज्य क्षेत्रों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, राज्यों के बार काउंसिल और विभिन्न विश्वविद्यालयों/विधि संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। प्राप्त सुझाव और समिति की रिपोर्ट सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय की जांच के अधीन हैं।

*****